सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	भाद्र 13, शुक्रवार, शाके 1942–सितम्बर 4, 2020 *Bhadra 13, Friday, Saka 1942–September 4, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2020

जी.एस.आर.209 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(च) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;"; और

(ii) विद्यमान खण्ड (ञ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ट) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (ञञ) अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ञञ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;"

3. नियम 19 का हटाया जाना.- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 19 हटाया जायेगा।

सं. एफ.1(4) डीओपी/ए-II/2017

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह

संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr. II
NOTIFICATION
Jaipur, August 18, 2020

G.S.R.209 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Librarians and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Librarians and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- In rule 2 of the Rajasthan Librarians and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing clause (f) shall be substituted by the following, namely:-
"(f) "Government" means the Government of Rajasthan;"; and

(ii) after the existing clause (j) and before the existing clause (k), the following new clause (jj) shall be inserted, namely:-
"(jj) "State" means the State of Rajasthan;"

3. Deletion of rule 19.- The existing rule 19 of the said rules shall be deleted.

[No. F. 1(4)DOP/A-II/2017]
By Order and in the name of the Governor
JAI SINGH
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।